उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियनत्रण अनुभाग-1,
संख्या-84 /2015/3328/92-1-2015-96(जॉच)/2013,
दिनांक: लखनऊ: 23 जुलाई, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

श्री हसनैन अहमद, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-हरदोई द्वारा अपनी तैनाती अवधि में डा0 अम्बेडकर ग्राम समग्र विकास योजनान्तर्गत सी0सी0 रोड के निर्माण कार्यों में की गयी अनियमितताओं टेक्निकल आडिट सेल द्वारा किये जाने वाली जॉच में वांछित/अपेक्षित अभिलेख/सूचनायें टी0ए0सी0 को उपलब्ध न कराकर अपरोक्ष रूप से प्रश्नगत जॉच को बाधित करने, अन्तर्ग्रस्त सम्बन्धितों को प्रश्रय दिये जाने, जानबूझ कर प्रकरण को लम्बित रखने का प्रयास किये जाने, उच्चादेशों की अवहेलना करने, अपने शासकीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही/उदासीनता बरतने एवं कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन किये जाने आदि अनियमितताओं के लिए शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3343/92-2013-96(जॉच)/2013, दिनांक 11-10-2013 द्वारा तात्कालिक प्रभाव से उन्हें निलम्बित करते हुए उनके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित कर प्रकरण की जॉच हेतु मुख्य अभियंता (पश्चिमी क्षेत्र) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र, लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- श्री हसनैन अहमद, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-हरदोई के विरूद्ध प्रचलित विषयगत अनुशासनिक कार्यवाही में अन्तिम निर्णय लिये जाने में कतिपय प्रक्रियात्मक समय लगने की संभावना के दृष्टिगत कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4119/92-2013-96(जॉच)/ 2013, दिनांक 18-11-2013 द्वारा उनका निलम्बन समाप्त करते हुए इस शर्त के साथ उन्हें सेवा में बहाल किया गया कि उनके विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही यथावत चलती रहेगी।

3- विषयगत प्रकरण में जॉच अधिकारी द्वारा जॉच कार्यवाही पूर्ण कर पत्र दिनांक 24-5-2014 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या में श्री हसनैन अहमद के विरूद्ध अधिरोपित दोनों आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये।

एतदर्थ, प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त, श्री हसनैन अहमद, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-हरदोई के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3343/92-2013-96(जॉच)/2013, दिनांक 11-10-2013 द्वारा प्रचलित विषयगत अनुशासनिक कार्यवाही को एतद्द्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

डा0 प्रभात कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-84 /2015/3328(1)/92-1-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- श्री हसनैन अहमद, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-हरदोई द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव।